बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: msssipb16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं0 सं0–एस0आई0पी0बी0 201700047– दिनांक– मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय– **मे0 सिलिका इन्फोटेक प्रा0 लि0 द्वारा, करजा, मरवन मुजफ्फरपुर में 20000 मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का एल0पी0जी0 बौटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु भूखण्ड के लीज/ विक्रय डीड निबंधन में निबंधन शुल्क, स्टाम्प डियूटी एवं भूमि सम्परिर्वतन शुल्क में व्यय किए गए राशि रू0 4,37,475.00 (चार लाख सैंतीस हजार चार सौ पचहत्तर) रूपए की प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 सिलिका इन्फोटेक प्रा0 लि0 द्वारा, करजा, मरवन मुजफ्फरपुर में 20000 मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का एल0पी0जी0 बौटलिंग प्लांट की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में दिनांक 13.01.2017 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक में स्टेज–1 का तथा दिनांक 04.09.2017 को सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम– 6 (2) (घ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम– 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत **गैर प्राथमिकता सूची में है।**

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक एस0आई0पी0बी0201700047/702 दिनांक 20.12.2017 द्वारा श्री संजीत कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राज कुमार शर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 20.09.2016 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मे0 सिलिका इन्फोटेक प्रा0 लि0 द्वारा, करजा, मरवन मुजफ्फरपुर में 20000 मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का एल0पी0जी0 बौटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु भूखण्ड के लीज/ विक्रय डीड निबंधन में निबंधन शुल्क, स्टाम्प डियूटी एवं भूमि सम्परिर्वतन शुल्क में व्यय किए गए राशि रू0 4,37,475.00 (चार लाख सैंतीस हजार चार सौ पचहत्तर) रूपए की प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगा। ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(iv) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

4. उक्त राशि का व्यय वहन "स्वीकृत्यादेश सं0–1014, दिनांक–14.03.18 एवं सहपठित पत्रांक–1028, दिनांक–15.03.2018 एवं आवंटनादेश सं0–138/आ0, दिनांक–15.03.2018 एवं सहपठित पत्रांक–140, दिनांक–19.03.18 के आलोक में मांग संख्या– 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2852– उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 80– सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष– 0160– प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड– 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष– 0160.33 01 सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

7. इस राशि का भुगतान मे0 सिलिका इन्फोटेक प्रा0 लि0,करजा, मरवन, मुजफ्फरपुर को उनके J&K Bank में खाता संख्या–0355010100001258, IFSC Code-JAKA0SEXTEN में RTGS/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।

8. उक्त राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म सं0–25 पर की जाएगी

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

–सह–

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक –एस0आई0पी0बी0 201700047– दिनांक– मार्च, 2018

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उद्योग निदेशक

–सह–

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक –एस0आई0पी0बी0 201700047– दिनांक– मार्च, 2018

प्रतिलिपिः वित्त विभाग,बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उद्योग निदेशक

–सह–

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक –एस0आई0पी0बी0 201700047– 1186 दिनांक– 21 मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा–1 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मे0 सिलिका इन्फोटेक प्रा0 लि0 , करजा, मरवन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

–सह–

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,

बिहार, पटना।